



45

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्र. /2018

मि.गिरजी/शिवपुरी/भू-रा/2018/0546

1. श्यामलाल पुत्र श्री मेहरबान सिंह लोधी
2. गोपाल पुत्र श्री मेहरबान सिंह लोधी
3. केशव पुत्र श्री मेहरबान सिंह लोधी
4. मेहरबान सिंह पुत्र श्री कन्हई लोधी समस्त निवासी- बड़ौरा, तहसील करैरा, जिला- शिवपुरी (म.प्र.)आवेदकगण

बनाम

1. रघुवर पुत्र श्री घुआ लोधी
2. श्रीलाल पुत्र रघुआ लोधी.
3. मु. गिरजा पत्नी स्व. घंसू लोधी
4. शालिगराम पुत्र स्व. श्री घंसू लोधी
5. सिंगराम पुत्र स्व. श्री घंसू लोधी
6. सावित्री लोधी पुत्र स्व. श्री घंसू लोधी
7. अनीता पुत्र स्व. श्री घंसू लोधी, समस्त निवासी- बड़ौरा, तहसील करैरा, जिला- शिवपुरी (म.प्र.)अनावेदक

प्रस्तुत! प्रारम्भिक तर्क हेतु
दिनांक 5-2-18 नियत।

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
22-1-18

T.C. Narvaniya
Adv

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता विरुद्ध
आदेश दिनांक 08.01.2018 पारित द्वारा तहसीलदार करैरा प्रकरण क्र.
56/16-17/अ-70

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है -

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 250 म.प्र. भू-राजस्व संहिता का प्रस्तुत कर ग्राम बड़ौरा तहसील करैरा में स्थित कृषि आराजी सर्वे क्र. 659/2 रकवा 0.36 हेक्टेयर में से 0.08 हेक्टेयर पर अनावेदकगण द्वारा जबरदस्ती बलपूर्वक कब्जा कर लेने का तथ्य वर्णित करते हुये अभिवचन किया कि अनावेदकगण द्वारा उक्त भाग पर कब्जा कर अपने मवेशी गाय, भैंस बांधकर उपयोग करना शुरू कर दिया है, आवेदकगण द्वारा मना करने पर कब्जा नहीं छोड़ रहे है। अनावेदकगण झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है व मौके पर

T.C. Narvaniya

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक II नि 0121वीं/शिवपुरी/भूरा 2018/546 जिला शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> <p><u>अनुविभागीय अधिकारी करैरा</u></p>	